

पत्रावली सं० 18/2021 सरकार बनाम सुमित्रा

आज्ञा का त्रिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
-------------------	--------------------	--

15/02/2021

आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री सुमित्रा पती जीवन्त सिंह पुत्र श्री जाति राकेश्वर निवासी 4 BWSM में फसल रबी/खरीफ सम्बत/सन् 2077 में गांव/चक नं० 4 BWSM के भू नं० 34-390 में 2.530 बीघा स्थित व असिंचित कुल 2.530 बीघा बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध कारत की है।

अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील के उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक फौजिय कार्यवाही की जाती है।

वह राजकीय भूमि पर अवैध कारत करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रबन्धगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कारत की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की 50 गुणा गुणा पेनल्टी राशि रु० 10/2 अखरे रु० 10/2 अतिरिक्त की जाती है।

श्री अनिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्ध फसल को निलाव करने हेतु लिखा जावे टी० आर० ए० को पेनल्टी की मांग कायत कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रबन्धगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावे।

2020-2021
10/2

निर्णय छुले न्यायालय में सुनाया जावे।

उप तहसीलदार
तहसीलदारे (पंचजस)
जिला सीकर
राजस्थान

10/2
लेखाकार